फर्द अहकाम नियम 26

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

हरपाल सिंह *बनाम* **सरकार**

मुकदमा अन्तर्गत धाराः— 251—क आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बरः— 100/2024

चकः— 4 एच बडा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुआ
01.07.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी हरपाल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार श्रीगंगानगर से जरिए कमांक 845 दिनांक 23.05.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी हरपाल पुत्र श्री खेताराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वय की खातेदारी भूमि चक 4 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 20 व 21 में स्वंय की सहमति से रास्ता मंजूर करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा इस हेतु प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत कर रास्ता भूमि के बदले किसी भी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी चक 4 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 20 व 21 में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी को कोई एतराज नहीं है व उक्त रास्ता मंजूर किये जाने पर दिये गये रास्ता के बदले किसी भी प्रकार का प्रतिफल/अनुतोष नहीं चाहा है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए आर.टी.ए. पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रार्थी स्वयं का शपथ पत्र, तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवम् प्रस्तुत जमाबंदी सम्वंत 2070—2073, चक 4 एच बडा, पटवार हल्का रोहिड़ावाली, भू.अ.क्षेत्र शिवपुर खाता संख्या 122/81 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त खाता का एकल खातेदार काश्तकार है एवम् प्रार्थी अपनी स्वयं की भूमि चक 4 एच बडा, पटवार [illegible] शिवपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता [illegible]/81 के मुरबा नम्बर 37 के किला नं. [illegible] रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible]जी साक्ष्यों एवम तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपो[illegible] के आधार पर न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 11:14:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 एच बडा, पटवार हल्का रोहिड़ावाली, भू.अ.क्षेत्र शिवपुर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 122/81 के मुरबा नम्बर 37 के किला नं. 20/1 (0.0130 हैक्.)व 21/1(0.0130 हैक्.) में 1–1 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी द्वारा स्वयं की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाया गया है इसलिए किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं है। उक्त गैरमुमकिन रास्ता सार्वजनिक प्रयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 11:14:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner